विधानसभा सचिवालय
मध्यप्रदेश
द्वितीय निविदा विज्ञप्ति

निविदा क्रमांक 1638/वि.स./स.सु./2020 भोपाल, दिनांक 29/1/2020

विधायक विश्राम गृह खण्ड-2 की केंटीन के संचालन कार्य हेतु प्रतिष्ठित फर्म/कम्पनी से निम्नानुसार शर्तों की अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है:-

कार्य का नाम	अमानत की राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ठेके की अवधि
विधायक विश्राम गृह खण्ड क्रमांक-2, भोपाल में स्वल्पाहार/भोजनालय के संचालन हेतु	रूपये 25,000/-	रूपये 500/-	दो वर्ष

नोटः- (1) इच्छुक निविदाकार निविदा विज्ञप्ति एवं दस्तावेज विधान सचिवालय की वेबसाइट www.mpvidhansabha.nic.in पर देखकर डाउनलोड कर सकते हैं, किन्तु दस्तावेज जमा करते समय निर्धारित राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

(2) इच्छुक निविदाकार विधानसभा सचिवालय की सदस्य सुविधा शाखा से कार्य दिवस में दिनांक 03.02.2020 से दिनांक 05.02.2020 तक कार्यालयीन समय में निविदा दस्तावेज निर्धारित राशि जमा कर क्रय कर सकते हैं।

(3) दिनांक 19.01.2020 को प्रथम बार निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर निविदा प्रपत्र क्रय करने वाले व्यक्ति/संस्थान द्वारा पुनः मांग किये जाने पर निविदा प्रपत्र दस्तावेज निःशुल्क प्रदाय किये जा सकेंगे।

(4) इच्छुक निविदाकार विधानसभा परिसर स्थित प्रवेश पत्र कार्यालय में रखी पेटी में निविदाएं दिनांक 05.02.2020 को अपरान्ह 02.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदाएं दिनांक 05.02.2020 को विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-02 में क्रय समिति के समक्ष अपरान्ह 03.00 बजे खोली जाएगी।

(5) इच्छुक निविदाकार को केंटीन/होटल कार्य संचालन का कम से कम 10 वर्षों का कार्यानुभव होना आवश्यक होगा।

(6) आवश्यकता होने पर निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन सचिवालय की वेबसाइट में ही किया जाएगा।

(7) उपर्युक्त कार्य हेतु बनाई गई सहयोगी कम्पनी/फर्म निविदा में भाग नहीं ले सकेगी।

(रमेश महाजन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा

(संजय शर्मा)
सत्कार अधिकारी

स.सु.-केन्टीन

कार्यालय भवन नियंत्रक
विधान सभा
राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल

विधायक विश्राम गृह स्थित केन्टीन/भोजनालय संचालन हेतु ठेके की आवश्यक शर्तें:-

1. केन्टीन/भोजनालय का किराया रूपये 2000/-प्रतिमाह तथा जल शुल्क के रूप में रूपये 500/- ठेकेदार द्वारा देय होगा/ जो प्रतिमाह जमा करना अनिवार्य होगा।

2. केन्टीन/भोजनालय की रंगाई-पुताई वर्ष में एक बार की जावेगी। यदि बीच में कोई रंगाई-पुताई खराब होती है तो अनुबंधकर्ता, स्वयं के व्यय पर रंगाई पुताई करायेगा।भोजनालय को साफ सुथरा व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी।

3. अनुबंधकर्ता को केन्टीन/भोजनालय के उपयोग में आने वाला फर्नीचर राजधानी परियोजना प्रशासन, विधायक विश्राम गृह द्वारा प्रदाय किया जायेगा।

4. ठेके की अवधि दो वर्ष की रहेगी, ठेका अवधि में, नया ठेका होने तक या अन्यथा वृद्धि भी की जा सकेगी इस हेतु माननीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

5. केन्टीन/भोजनालय में प्रदाय किये जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थ की दर सूची सूचना फलक पर चस्पा करना होगी तथा शिकायत/सुझाव पुस्तिका भी दर्शनीय स्थल पर रखना होगी जिसे इस सचिवालय के अधिकारियों के निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगी.

6. केन्टीन/भोजनालय में स्वच्छता एवं सफाई के साथ ही भोजन सामग्री की गुणवत्ता एवं शुद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

7. ठेका शर्तों का उल्लंघन करने पर या केन्टीन/भोजनालय की कोई भी शिकायत प्राप्त होने और सही पाये जाने पर ठेका कभी भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन सामान्य स्थिति में सचिवालय या ठेकेदार द्वारा ऐसा एक माह के नोटिस प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकेगा।

8. ठेकेदार एवं वहां कार्यरत कर्मचारियों का व्यवहार माननीय विधायकों एवं अन्य आगंतुकों के साथ सौजन्यपूर्ण होगा। कर्मचारियों के व्यवहार की शिकायत आने पर उनकी सेवाएं समाप्त करना होगी।

9. ठेकेदार को खाद्य वस्तुओं के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय हेतु आवश्यक अनुज्ञप्ति लाइसेंस लेना होगा और इस संबंध में किसी विधिक कार्यवाही का दायित्व स्वयं उसी पर होगा।

10. केंटीन/भोजनालय के स्टाफ को एक निश्चित यूनीफार्म में रखना होगा तथा केन्टीन की स्वच्छता एवं सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केन्टीन ठेकेदार का होगा। केन्टीन परिसर को आवास स्थान के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में किसी कर्मचारी को वहां रहना आवश्यक हो तो ऐसा सचिवालय की अनुमति से ही हो सकेगा।

11. केन्टीन/भोजनालय के उपयोगार्थ दी गई सामग्री की टूट-फूट आदि की वसूली जमा अमानत की राशि में से की जावेगी।

12. केन्टीन/भोजनालय परिसर का उपयोग अन्य व्यवसाय हेतु नहीं किया जावेगा। ऐसा पाये जाने पर ठेका निरस्त कर परिसर खाली कराया जायेगा।

स.सु.-केन्टीन

(संजय शर्मा)
सत्कार अधिकारी

13. सफल निविदाकार को स्वयं ही स्वल्पाहारगृह का संचालन करना होगा, उसके द्वारा किसी व्यक्ति को अधिकृत कर उक्त ठेका नहीं दिया जावेगा।

14. ठेकेदार को स्वयं बिजली का मीटर अपने व्यय से लगाना होगा तथा मीटर रीडिंग अनुसार ही म.प्र.मध्य/पश्चिम क्षेत्र वितरण विद्युत कंपनी में विद्युत शुल्क जमा करना होगा।

15. केन्टीन/भोजनालय परिसर का वातावरण विधायक विश्राम गृह की गरिमा के अनुकूल रखना होगा।

16. परिसर में असामाजिक तत्वों, शराब पीकर एवं अन्य नशा कर आने वाले व्यक्तियों को प्रवेश वर्जित रहेगा.

17. केन्टीन/भोजनालय के निरीक्षण एवं खाद्य सामाग्री के परीक्षण का अधिकार सदस्य सुविधा समिति के सदस्यों तथा विधान सभा सचिवालय के अधिकृत अधिकारियों को रहेगा। वे वहां उपलब्ध निरीक्षण पंजी में रिपोर्ट लिखेंगे।

18. केन्टीन/भोजनालय के खुले रहने का समय प्रतिदिन प्रात: 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रहेगा। इस आशय का संकल्प केन्टीन संचालक को सूचना फलक पर प्रकाशित करना होगा।

19. केन्टीन/भोजनालय में भोजन एवं नाश्ते की निर्धारित एवं मान्य दरों में किसी प्रकार का संशोधन ठेका अवधि में नहीं किया जावेगा। मान्य दरों पर सामाग्री विक्रय का उत्तरदायित्व केन्टीन ठेकेदार का रहेगा।

20. ठेकेदार केन्टीन/भोजनालय में निर्धारित मीनू के अलावा कोई अन्य खाद्य सामग्री आवश्यकतानुसार रखना चाहे तो अनुमति उपरांत वह सामग्री उचित व निर्धारित मूल्यों पर ही बेची जा सकेगी, और दरों को भी विधान सभा सचिवालय से अनुमोदित कराना होगा।

21. किसी भी विवाद की स्थिति में माननीय अध्यक्ष, विधान सभा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

22. शर्तों के उल्लंघन या परिसर का अन्यथा उपयोग पाये जाने की स्थिति में ठेका निरस्त किया जायेगा।

23. केन्टीन/भोजनालय हेतु रूपये 25,000/-(रूपये पच्चीस हजार)मात्र धरोहर राशि के रूप में एफ.डी.आर.भवन नियंत्रक, विधान सभा के पास जमा करना आवश्यक होगा।

24. केन्टीन/भोजनालय में कार्य पर रखे जाने वाले श्रमिकों एवं कारीगरों का पुलिस सत्यापन कराकर सचिवालय को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा

भवन नियंत्रक,
मध्यप्रदेश विधानसभा,
राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल.

स.सु.-केन्टीन

(संजय शर्मा)
सत्कार अधिकारी

कार्यालय भवन नियंत्रक, विधानसभा,
राजधानी परियोजना प्रशासन,
भोपाल.

विधायक विश्राम गृह, भोपाल स्थित खण्ड दो के भोजनालय/स्वल्पाहार गृह के लिये

निविदा:-..

निविदाकार का नाम:-..

निविदा की तारीख:-...

शासन को वार्षिक रायल्टी रूपये..................शब्दों.. में भुगतान करने पर विधायक विश्राम गृह में स्थित खण्ड क्र.2 केन्टीन/भोजनालय चलाने के लिए धरोहर राशि रूपये ....एफ.डी.आर. के रूप में संलग्न है।

2/ मैं/हम निविदा की स्वीकृति के पश्चात तैयार किये जाने वाले करार में उल्लेखित निबन्धनों और शर्तों के अनुसार केन्टीन/भोजनालय को चलाने और उसका प्रबंध करने का वचन देता हूं/देते हैं।

3/ मैं/हम इसके द्वारा संविदा की अवधि के दौरान नियत किये गये तथा इस संविदा से संलग्न सूची में वर्णित दरों पर सामग्री देने का करार करता हूं/करते हैं।

4/ यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है तो मैं/हम संविदा के सभी निबन्धनों और शर्तों का पालन करने का और उसमें चूक होने पर धरोहर राशि के हरण के अतिरिक्त राज्यपाल या उनके उत्तरवर्तियों को उक्त शर्तों में उल्लेखित धनराशि का भुगतान करने का करार करता हूं/करते हैं।

5/ वार्षिक बोली की राशि के बराबर राशि की बैंक ग्यारंटी दो वर्ष की समयावधि के लिए अनुबंध करने के पूर्व उपलब्ध कराने का वचन देते हैं/देती हूं।

साक्षी के हस्ताक्षर,

1. नाम/पता/आधार नं./मोबाईल नं.

2. नाम/पता/आधार नं./मोबाईल नं.

स.सु.-केन्टीन

(संजय शर्मा)
सत्कार अधिकारी

विधायक विश्राम गृह स्थित खण्ड दो के भोजनालय में प्लेट पद्धति से भोजन प्रदाय की दर सूची.

सामग्री की दर:-

क्र.	सामग्री का नाम	प्रति प्लेट/नग	दर
1	सब्जी प्रति प्लेट (जिसमें सूखी एवं रसेदार)		
2	चपाती (प्रति नग)		
3	सादा पराठा, आलू एवं गोभी पराठा (प्रति नग)		
4	दाल सादी, दाल फ्राई		
5	पापड़ (प्रति नग)		
6	सलाद (प्रति प्लेट)		
7	दही 100 ग्राम		
8	चावल (अच्छी गुणवत्ता का)		
9	चावल (फ्राई) प्रति प्लेट		
10	गुलाबजामुन, रसमलाई, खीर (प्रति नग 100 ग्राम)		

नोट:- अन्य सामग्री जो प्लेट पद्धति से विक्रय की जावेगी उसकी दरे भी विधानसभा सचिवालय से अनुमोदित कराकर ही विक्रय की जावेगी।

स.सु.-केन्टीन

विधायक विश्राम गृह स्थित खण्ड दो के भोजनालय में थाली पद्धति से भोजन प्रदाय की दर सूची.

क्र.	खाद्य सामग्री का नाम	प्रति/नग	दर
1	चपाती शुद्ध घी से चुपड़ी		
2	दाल सादी, दाल फ्राई		
3	सब्जी दो(एक सूखी एवं एक रसेदार)		
4	चावल(अच्छी गुणवत्ता का)		
5	सलाद(प्याज, मूली, गाजर, टमाटर, ककड़ी, हरी, मिर्च, नींबू आदि)		
6	पापड़, चटनी या अचार		
7	मिष्ठान 100 ग्राम		
8	दही 100 ग्राम		
	कुल थाली दर रूपये		

नोट:-यदि कोई व्यक्ति केवल चपाती या केवल चावल खाना चाहता है, तो उसे भरपेट चपाती/चावल दिया जाना होगा

स.सु.-केन्टीन

विधायक विश्राम गृह स्थित खण्ड दो के भोजनालय में खाद्य सामग्री के प्रदाय की दर सूची.

क्र.	खाद्य सामग्री का नाम	प्रति प्लेट/नग	दर
1	चाय फुल		
2	चाय हाफ		
3	पोहा फुल		
4	पोहा हाफ		
5	कॉफी		
6	जलेबी प्रति 100 ग्राम/ प्रति किलो		
7	बिस्कुट पारलेजी/नमकीन बिस्किट		
8	नमकीन/चिवड़ा प्रति किलो		
9	दूध एक गिलास		
10	दो पराठा, सब्जी, आलू एवं गोभी पराठा प्रति नग		
11	भजिये प्रति किलो		
12	गुलाब जामुन प्रति किलो		
13	समोसा, आलू बड़ा, कचोड़ी, भाजी बड़ा, ढोकला, प्रति नग		
14	कोल्ड ड्रिंक-कोका कोला, पेप्सी, लिम्का गोल्ड साफ्ट, फ्रूटी		
15	लस्सी, छांछ प्रति ग्लास		

नोट:-उक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य सामग्री का विक्रय एवं उनकी दरें विधानसभा सचिवालय से अनुमोदित कराकर ही विक्रय जावेगी।

स.सु.-केन्टीन